संख्या-11/2026/पी-341/003-38-9002-099-4-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2026**

विषयः-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएमजीएसवाई के फाइनेंशियल इन्सेंटिव मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन के सापेक्ष संगत राज्यांश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-571/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2026-27, दिनांक 27.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.05.2026 द्वारा पीएमजीएसवाई के फाइनेंशियल इन्सेंटिव मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन कुल रू0 86.32 करोड़ (रूपये छियासी करोड़ बत्तीस लाख मात्र) तथा योजनान्तर्गत SNA SPARSH माड्यूल के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन के सापेक्ष योजना के मानक (60:40) के अनुरूप आगणित/निर्धारित संगत राज्यांश कुल रू0 57.55 करोड़ (रूपये सत्तावन करोड़ पचपन लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 143.87 करोड़ (रूपये एक अरब तैतालिस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध निम्नानुसार किया गया है:-

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र0 सं0	**मद का नाम**	**भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन की धनराशि**	**आगणित/निर्धारित संगत राज्यांश की धनराशि**	**कुल धनराशि**
	UP-22-Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)-State Component	86.32	57.55	143.87

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.05.2026 द्वारा पीएमजीएसवाई के फाइनेंशियल इन्सेंटिव मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन कुल रू0 86.32 करोड़ (रूपये छियासी करोड़ बत्तीस लाख मात्र) तथा योजनान्तर्गत SNA SPARSH माड्यूल के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन के सापेक्ष योजना के मानक (60:40) के अनुरूप आगणित/निर्धारित संगत राज्यांश कुल रू0 57.55 करोड़ (रूपये सत्तावन करोड़ पचपन लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 143.87 करोड़ (रूपये एक अरब तैतालिस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को निम्नांकित सारणी अनुसार आपके निवर्तन पर रखने हेतु राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र0 सं0	मद का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैंक्शन की धनराशि	आगणित/निर्धारित संगत राज्यांश की धनराशि	कुल धनराशि
	UP-22-Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY)-State Component	86.32	57.55	143.87

शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेंगे कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.05.2026 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति/क्रियान्वयन सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 10 जुलाई, 2025, 23 जुलाई, 2025, 26 सितम्बर,2025, 14 अक्टूबर, 2025, 10 दिसम्बर,2025 तथा 02 जनवरी, 2026 द्वारा निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों एवं तत्संबंधी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(17) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,43,87,00,000 (रुपये एक अरब तैंतालीस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 5054043370201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-2-25-X-2026-27-दिनांक: 03-6-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2026/पी-341/003-38-9002-099-4-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-08, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।